



**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्**  
**Council of Scientific & Industrial Research**  
**अनुसंधान भवन 2 रफीमार्ग नई दिल्ली 110001**  
**Anusandhan Bhawan, 2 Rafi Marg, New Delhi-110001**



सो/No. SP-13031/48/2023-S and P-CSIR HQ (E 30778)

दिनांक/Date: 14/09/2023

सेवा में / To,

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एकको के निदेशक/प्रमुख  
**The Directors/ Heads of all CSIR Laboratories/Instts. /Units**

विषय: क्रय माँगपत्रों में बी आई एस मानकों के अनुप्रयोग एवं प्रचालन के संदर्भ में।

**Sub: Use and Operationalization of BIS Standards in Purchase Indents.**

महोदया/ महोदय/Madam/Sir,

मुझे तकनीकी विशिष्टताओं के निरूपण से संबंधित एम पी जी 2019 के पैरा 2.2 के संदर्भ में आपके ध्यान को आकर्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस परिच्छेद के अनुसार, क्रय माँगपत्र में तकनीकी विशिष्टताएं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों पर आधारित होनी चाहिए, यदि ऐसे मानक उपलब्ध हों तो। ठीक यही प्रावधान सामान्य वित्तीय नियमावली (जी एफ आर) 2017 के नियम 144 (iii) और भारत में बनाओ (मेक इन इंडिया) नीति में भी परिकल्पित है।

I am directed to draw your kind attention to Para 2.2 of MPG 2019 on formulation of Technical Specifications. According to this clause, the Technical Specification (TS) should be based on the Standards set by the Bureau of Indian Standard (BIS), whenever such standard exists. The same has also been envisaged in the General Financial Rules 2017 (Rule 144 (iii)) and Make in India Policy.

2. उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने का पहला कदम है कि शोध एवं विकास (आर एण्ड डी) उपस्करों और शोध उपभोग्य वस्तुओं के लिए एक विश्वसनीय, प्रामाणिक और पुष्ट मानकों को उपलब्ध कराते हुए घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए। इसलिए यह वांछनीय होगा कि वैज्ञानिक गण /माँगकर्ता, अपनी वैज्ञानिक/अन्य संबंधित जरूरतों हेतु माँगपत्र भरते समय भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों का अनुसरण करें।

2. The first step to achieve the above objective is to give a fillip to domestic manufacturing by having reliable, authentic and robust standards for the R & D equipment and research consumables. It would, therefore, be desirable that

Scientists/Indentors adhere to BIS standards while raising indents for Scientific/non-scientific requirements.

3. भारतीय मानक ब्यूरो ही राष्ट्रीय मानक निकाय है जो मानक नियमन/सूत्रीकरण में संलग्न है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सूत्रीकृत मानकों की सम्पूर्ण सूची को इसके पोर्टल पर देखा जा सकता है। ([http://www.services.bis.gov.in/php/BIS\\_2.0/bisconnect/get\\_is\\_list\\_by\\_category/](http://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/get_is_list_by_category/)) जब तक अन्यथा आवश्यक न हो उत्पादों/ वस्तुओं की विशिष्टताएं बी आई एस के मानकों पर आधारित होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जहाँ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कोई मानक उपलब्ध नहीं है, माँगकर्ता अन्य मानकों का आश्रय ले सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में उसे, भारतीय मानक ब्यूरो को मानक निर्धारण के लिए, उसके पोर्टल पर एक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से देना होगा। ऐसे प्रस्तावों को भारतीय मानक ब्यूरो के पोर्टल पर इस लिंक पर (<https://www.services.bis.gov.in/>) लॉग इन करके जमा कराया जा सकता है। वैकल्पिक तौर पर, इस आशय हेतु एक अनुरोध उपयुक्त मानकीकरण अध्यक्षों को ई मेल द्वारा किया जा सकता है, जिनके ई मेल पते निम्न लिंक पर देखे जा सकते हैं <https://www.bis.gov.in/directory/hindi-standardization-heads/>

3. Bureau of Indian Standards (BIS) is the National Standard body which is engaged for Standard formulation. Complete catalogue of standards formulated by the BIS can be seen at BIS Portal ([http://www.services.bis.gov.in/php/BIS\\_2.0/bisconnect/get\\_is\\_list\\_by\\_category/](http://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/get_is_list_by_category/)). The specifications for products should be based on BIS Standards unless warranted otherwise. In case there is no BIS standard available, the Indentor can take recourse to other standards, but must submit a proposal for creation of BIS standard on their portal. The proposal can be submitted at by logging in on the portal at the following link: <https://www.services.bis.gov.in/> . Alternatively, a request to this effect should be made over email to the appropriate standardization Heads whose mail ID can be found on the URL <https://www.bis.gov.in/directory/hindi-standardization-heads/> .

4. उपरोक्त संदर्भ में यह भी बताना प्रासंगिक होगा कि जी टी ई प्रस्तावों को प्रक्रियागत करने हेतु मांगी गई विशिष्टताएं भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों की अनुरूपता में होनी चाहिए, यदि ऐसे मानक उपलब्ध हैं तो या फिर माँगकर्ता ने नए मानकों के निर्धारण हेतु भारतीय मानक ब्यूरो को इस आशय का प्रस्ताव उल्लिखित पोर्टल पर अनिवार्य रूप में जमा कर दिए हों। इस आशय की सूचना जी टी ई प्रस्ताव के प्रारूप में पंक्ति संख्या 12 में सहायक कागजातों के साथ अवश्य अंकित की जानी चाहिए।

4. It is pertinent to mention that for processing of a GTE proposal, the indented specification should be in conformity with BIS standards, if it exists or the Indentor must have submitted a proposal for creation of a new standard to BIS on the aforesaid portal. This must be clearly indicated in row 12 of the GTE proposal format along with supporting documents.

5. कृपया उपरोक्त बातों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए।

5. The above may kindly be brought to the notice of all the concerned for information and necessary action.

भवदीय/ **Yours faithfully,**

(सतीश चन्द्र / **Satish Chandra**)

भंडार एवं क्रय अधिकारी )

**Stores & Purchase Officer**

**Encls: As above**

**Copy to:**

1. Head IT - With the request to publish this communication on CSIR Website under Notifications (S&P)